Form No.III
फर्द अहमका
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री भैरूलाल लुहार बनाम सत्यनारायण लुहार वगै0

किस्म मुकदमा ....वादपत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट प्र.संख्या. 18 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। विचारण प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली से सम्बन्धित मूल राजस्व वाद प्रकरण संख्या 158/2011 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा.दी. पर इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2012 के विरूद्ध स्वयं वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां निगरानी दायर की गयी, जो वर्तमान में भी जैरकार्यवाही है। माननीय न्यायालय से मामले में किसी भी प्रकार के नवीन निर्देश आने तक इस न्यायालय में विचारण प्रार्थनापत्र को एक ही चरण पर पैशी दर पैशी चलाया जाता रहा है। किन्तु विगत 06 वर्षो से किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश मा. न्यायालय से आना नही पाया गया है। ऐसी स्थिती में इस पत्रावली को एक ही चरण पर निरन्तर चलाया जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 06.06.2011 से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा उपरोक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभाव में है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 06.06.2011 से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से नवीन निर्देश आने तक प्रभाव में रखते हुए आगे की कार्यवाही को स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	